"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 132] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 2 मई 2019 — वैशाख 12, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 2 मई 2019

क्रमांक 4431/डी. 92/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 09-03-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 4 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) अधिनियम, 2019

विषय सूची

धारा	विवरण
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ
2.	परिभाषायें
3.	कारक निर्धारण

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 4 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न योजनाओ के अधीन विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के लिए अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्रदान करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) अधिनियम, 2019 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषायें.

2. (1) "ग्रामीण क्षेत्र" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) के अंतर्गत परिभाषित नगरीय क्षेत्र, इस अधिनियम के लिये समय-समय पर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र तथा विशिष्ट क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र.

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, उनके वही अर्थ होंगे, जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30) एवं छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) में उनके लिये समनुदेशित है.

कारक निर्धारण.

3. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30) के अंतर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि के प्रतिकर, ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में, जिस गुणक द्वारा बाजार मूल्य को गुणा किया जाना है, वह गुणक 2.00 (दो) होगा.

अटल नगर, दिनांक 2 मई 2019

क्रमांक 4431/डी. 92/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2-5-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 4 of 2019)

CHHATTISGARH RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (DETERMINATION OF MULTIPLYING FACTOR IN CASE OF RURAL AREAS) ACT, 2019

INDEX

Section	Description
1.	Short title, extent and Commencement
2.	Definitions
3.	Determining Factor

CHHATTISGARH ACT

(No. 4 of 2019)

CHHATTISGARH RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTEMENT (DETERMINATION OF MULTIPLYING FACTOR IN CASE OF RURAL AREAS) ACT, 2019

An Act to give maximum economic benefits to the persons affected by acquisition of agricultural land in rural areas for the purpose of encouraging development work under various schemes of the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Determination of Multiplying Factor in case of Rural Areas) Act, 2019.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. (1) "Rural Areas" means areas other than urban area defined under Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (20 of 1959), urban area notified for this Act from time to time and areas declared as specific area.

(2) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as assigned to them under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013) and Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (20 of 1959).

Determining Factor.

3. The Compensation to be given to those whose land is acquired under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013) , in case of rural areas, the factor by which the market value is to multiplied shall be 2.00 (Two).

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019